

## आउटकम बजट वित्तीय वर्ष 2017-18

लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड

(धनराशि लाख ₹0 में)

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
		पूंजी	राजस्व				
<b>राज्य योजना</b>							
1. जनजाति क्षेत्रान्तर्गत आर्टीजन कूपों का निर्माण	जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने हेतु आर्टीजन कूपों का निर्माण प्रस्तावित है।	50.00	-	05 आर्टीजन कूपों का निर्माण	1 वर्ष	100 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन	1 वर्ष
2. जनजाति क्षेत्र के अन्तर्गत गूल, हौज एवं पाइप लाईन का निर्माण	जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में जल स्रोतों को खेतों में पहुंचाकर, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	60.00	-	5 किमी० सिंचाई गूल, 7 हौज एवं पाइप लाईन का निर्माण	1 वर्ष	35 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन	1 वर्ष
3. जनजाति क्षेत्र के अन्तर्गत गहरी बोरिंग हेतु अनुदान	जनजाति क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु गहरी बोरिंग पर अनुदान।	27.50	-	15 गहरी बोरिंग हेतु अनुदान	1 वर्ष	150 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन	1 वर्ष
<b>योग टी०एस०पी०</b>		<b>137.50</b>	-			<b>285 हैक्टेयर</b>	
1. अनुसूचित जाति लाभार्थ गूल, हौज एवं पाइपलाइन का निर्माण	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में जल स्रोतों को सिंचाई गूल एवं सिंचाई हौज पाईनलाईन द्वारा खेतों में पहुंचाकर, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	100.00	-	8 किमी० सिंचाई गूल, 6 हौज एवं पाइप लाईन का निर्माण	1 वर्ष	50 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन	1 वर्ष
2. अनुसूचित जाति क्षेत्र के अन्तर्गत गहरी बोरिंग हेतु अनुदान	अनुसूचित जाति क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु गहरी बोरिंग हेतु अनुदान प्रस्तावित	100.00	-	50 गहरी बोरिंग हेतु अनुदान	1 वर्ष	600 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन	1 वर्ष
<b>योग एस०सी०एस०पी०</b>		<b>200.00</b>	-			<b>650 हैक्टेयर</b>	
<b>योग राज्य सेक्टर</b>		<b>337.50</b>	-			<b>935 हैक्टेयर</b>	

केन्द्रपोषित योजना							
1. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम/प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सिंचाई गूल, सिंचाई हौज पाईपलाइन तथा छोटे वियर का निर्माण एवं क्षतिग्रस्त लघु सिंचाई योजनाओं का सुदृढीकरण/मरम्मत/ पुनर्निमाण कार्य प्रस्तावित किया गया है।	7000.00	-	440 किमी <sup>0</sup> सिंचाई गूल, 200 हौज एवं पाइप लाईन व छोटे गेटेड वियर का निर्माण/मरम्मत/ सुधार/नवीनीकरण	1 वर्ष	2800 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का अतिरिक्त सृजन व पुनर्स्थापना	1 वर्ष
2 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम/प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-टी0एस0पी0	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में जहाँ 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है, में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सिंचाई गूल, सिंचाई हौज पाईपलाइन तथा छोटे वियर का निर्माण एवं क्षतिग्रस्त लघु सिंचाई योजनाओं का सुदृढीकरण/मरम्मत / पुनर्निमाण कार्य प्रस्तावित किया गया है।	0.01	-	-	-	-	-
3. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम/प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-एस0सी0एस0पी0	अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में जहाँ 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति निवास करती है, में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सिंचाई गूल, सिंचाई हौज पाईपलाइन तथा छोटे वियर का निर्माण एवं क्षतिग्रस्त लघु सिंचाई योजनाओं का सुदृढीकरण/ मरम्मत/पुनर्निमाण कार्य प्रस्तावित किया गया है।	200.00	-	12 किमी <sup>0</sup> सिंचाई गूल, 8 हौज एवं पाइप लाईन का निर्माण/मरम्मत/ सुधार/नवीनीकरण	1 वर्ष	80 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का अतिरिक्त सृजन व पुनर्स्थापना	1 वर्ष
4. कृत्रिम भू-जल संचय		1.00	-	-		-	.
5. हाई0 का सुदृढीकरण एवं अनुरक्षण		1.00	-	-		-	.
6. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना		-	0.01	-		-	.
7. ड्रिप/स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई योजना		1.00	-	-		-	.
<b>योग केन्द्रपोषित योजना</b>		<b>7203.01</b>	<b>0.01</b>			<b>2880 हैक्टेयर</b>	
<b>योग लघु सिंचाई</b>		<b>7540.51</b>	<b>0.01</b>	.		<b>3815 हैक्टेयर</b> 0.55 प्रतिशत अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन	